भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2627

05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु किसान पहचान पत्र

2627. श्री अभिषेक बनर्जीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त प्राप्त करने के लिए किसान पहचान पत्र का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) किसान पहचान पत्र के लिए पंजीकरण न कराने वाले किसानों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने उन किसानों के लिए कोई वैकल्पिक उपाय सम्बंधी योजना बनाई है, जो विभिन्न दस्तावेजों में अलग-अलग नाम जैसी प्रक्रियागत त्रुटियों के कारण किसान पहचान पत्र प्राप्त करने में असमर्थ हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने संसदीय स्थायी समिति की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत धनराशि बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति वर्ष करने की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमिधारक होना प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो उच्च आय वर्ग से संबंधित कुछ अपवादों के अधीन है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के पहुंचे । लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक 20 किस्तों के माध्यम से अब तक रुपए 3.90 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की है। पीएम-किसान के अंतर्गत नए पंजीकरण के लिए किसान आईडी अब 14 राज्यों में अनिवार्य कर दी गई है।

(ख) और (ग) सरकार ने राज्य किसान रजिस्ट्री के निर्माण में किसानों के नामांकन के विभिन्न तरीकों को सक्षम किया है। राज्यों ने स्व-पंजीकरण, सीएससी (CSC) मोड, ऑपरेटर मोड (क्षेत्र स्तर पर राज्य कृषि और राजस्व अधिकारियों सहित) और सहायक मोड जैसी व्यवस्थाएँ बनाई हैं। किसानों के पंजीकरण के दौरान, यदि कोई समस्या हो, तो उन्हें दूर करने के लिए, राज्य सरकारें जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याएँ उठाने के लिए उपरोक्त तरीकों का उपयोग कर रही हैं, जिसके लिए क्षेत्र स्तर पर अधिकृत अधिकारियों के लिए तकनीकी प्रावधान किए गए हैं।

(घ) वर्तमान में, पीएम किसान योजना के तहत लाभ राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****